न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : **श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S**

राजस्व वाद संख्या : **67/22 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS NO. :- 2022/206

अनवान

1. श्री नंदराम पिता श्री शंकर कुलमी निवासी नया राजपुरा तहसील कानोड, जिला उदयपुर राज0।

............प्रार्थी

बनाम्

1. श्री नारायण पिता श्री उदा कुलमी निवासी नया राजपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
2. हजारी पिता श्री बदरी कुलमी निवासी नया राजपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
3. श्री भेरूलाल मुत श्री छगनलाल कुलमी निवासी नया राजपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
4. श्री राजस्थन राज्य जरिये भमिधारी तहसीलदार जी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर (राज0)।

..........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक 22.09.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम राजपुरा पटवार मण्डल पीथलपुरा भू अभिलेख निरिक्षक कानोड तहसील कानोड की आराजी नम्बर 236, 237 किता 2 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। यह की आराजी नम्बर 235/2 आ.चा में प्रार्थी एवं विपक्षी तथा अन्य सह खातेदार काश्तकारों का सयुक्त रूप से हिस्सा है। विपक्षी संख्या 1 से 3 उक्त आराजी नम्बर 235/2 की आड में प्रार्थी की भूमि में आये दिन सीमा को लेकर विवाद करते हैं जिससे प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 236, 237 में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।
2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया। अतः विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।
3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी की खातेदारी भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:44 IST
Reason: SelfAttested

हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं हाने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम राजपुरा पटवार मण्डल पीथलपुरा भू अभिलेख निरिक्षक कानोड तहसील कानोड की आराजी नम्बर 236, 237 किता 2 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। उक्त पत्थरगढ़ी कब्जा प्राप्त करने के लिए नहीं है कब्जे प्राप्त करने के लिए अलग से कार्यवाही करें। अगर भू—प्रबंधन के बाद जमाबंदी/खसरा नम्बर या मौके की तरमीम में कोई परिवर्तन हो तो तहसीलदार खाता शुद्धि के बाद पत्थरगढी की कार्यवाही करें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को 500/— पांच सौ रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में भू—प्रबंधन के बाद बने नये खसरा नम्बरान के आधार पर पत्थरगढ़ी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:44 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर